सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/152 दर्ज तिथिः—22.04.2025

1. वीरमाराम पुत्र रामलाल
   जाति जाट निवासी निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा

..................वादी

बनाम

1. चुनीदेवी पत्नी बांकाराम
2. तुलछी पुत्री बांकाराम
3. हिमताराम पुत्र रामलाल
   जाति जाट निवासी निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

4. उपपंजीयक तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री ठाकरराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

**—ःनिर्णयः—**

निर्णय तिथिः—29.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 271/0.1294 है0, 272/12.2564 है0, 308/1.2944 है0, 325/7.7988 है0 वाके ग्राम निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती

कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

2. प्रकरण उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 24.07.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 910 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन तैयार करने के आदेश दिये गये थे। परंतु तहसीलदार नोखड़ा द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण नहीं कर अपने अधीनस्थ को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर एवं तहसील कार्यालय में बैठकर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के अनुसार होने से कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज की जाकर विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट 'अ' अनुसार पुनः मंगवाया जावे।

3. तत्पश्चात प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2026 / 175 दिनांक 17.03.2026 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

| प्रक्रिया हेतु प्रावधान | अपनायी गई प्रक्रिया |
|---|---|
| ***21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.*** *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.* | प्रकरण में दिनांक 05.03.2026 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। |
| प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। | 1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1485–1488 दिनांक 08.10.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.03.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।<br>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस |

| | |
|---|---|
| | क्रमांक 1485—1488 दिनांक 08.10.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.03.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। |

4. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 271/0.1294 है0, 272/12.2564 है0, 308/1.2944 है0, 325/7.7988 है0 वाके ग्राम निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) एवं मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

***6.*** उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

| परिस्थिति | विवरण |
|---|---|
| 1. | जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो। |
| 2. | जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो। |
| 3. | जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी। |
| 4. | जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो। |

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

*दावा वादी अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 271/0.1294 है0, 272/12.2564 है0, 308/1.2944 है0, 325/7.7988 है0 वाके ग्राम निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस (दिनांक 05.03.2026) नीचे अंकित*

*तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।*

| खातेदार | हिस्सा | ग्राम | खसरा | रकबा(है0) | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| वीरमाराम पुत्र रामलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार | पूर्ण | निम्बलनाडी<br>निम्बलनाडी<br>निम्बलकोट | 271<br>272<br>335 | 0.1294<br>5.2404<br>1.6679 | गै.मु.<br>बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 03 रकबा 7.0377 है0 | | | | | |
| हिमताराम पुत्र रामलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार | पूर्ण | निम्बलनाडी<br>निम्बलकोट | 272<br>335 | 5.3698<br>1.6679 | बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 02 रकबा 7.0377 है0 | | | | | |
| चूनी देवी पत्नी बांकाराम<br>तुलछी पुत्री बांकाराम<br>जाति जाट सा0 देह खातेदार | 2/3<br>1/3 | निम्बलनाडी<br><br><br>निम्बलकोट | 308<br>325<br>272<br>335 | 1.2944<br>7.7988<br>1.6462<br>3.3358 | बा0सो0<br>बा0सो0<br>बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 04 रकबा 14.0752 है0 | | | | | |
| तुलछी पुत्री बांकाराम<br>चूनीदेवी पत्नी बांकाराम<br>वीरमाराम पुत्र रामलाल<br>हिमताराम पुत्र रामलाल<br>कौम जाट सा0 देह खातेदार | 1/6<br>1/3<br>1/4<br>1/4 | निम्बलकोट | 335 | 0.1240 | गैर मुमकिन रास्ता |
| किता 01 रकबा 0.1240 है0 गैर मुमकिन रास्ता | | | | | |

**उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।**

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 152 दर्ज तिथिः—22.04.2025

1. वीरमाराम पुत्र रामलाल
   जाति जाट निवासी निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा

..................वादी

बनाम

1. चुनीदेवी पत्नी बांकाराम
2. तुलछी पुत्री बांकाराम
3. हिमताराम पुत्र रामलाल
   जाति जाट निवासी निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा

..................असल प्रतिवादीगण

4. उपपंजीयक तहसीलदार नोखड़ा

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री ठाकराराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश कड़वासरा
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

**—:पर्चा डिक्रीः—**

*दावा वादी अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 271/0.1294 है0, 272/12.2564 है0, 308/1.2944 है0, 325/7.7988 है0 वाके ग्राम निम्बलनाडी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस (दिनांक 05.03.2026) नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।*

वीरमाराम बनाम चुनीदेवी
2025 / 152
निर्णय दिनांकः—29.05.2026

| खातेदार | हिस्सा | ग्राम | खसरा | रकबा(है0) | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| वीरमाराम पुत्र रामलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार | पूर्ण | निम्बलनाडी<br>निम्बलनाडी<br>निम्बलकोट | 271<br>272<br>335 | 0.1294<br>5.2404<br>1.6679 | गै.मु.<br>बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 03 रकबा 7.0377 है0 | | | | | |
| हिमताराम पुत्र रामलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार | पूर्ण | निम्बलनाडी<br>निम्बलकोट | 272<br>335 | 5.3698<br>1.6679 | बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 02 रकबा 7.0377 है0 | | | | | |
| चूनी देवी पत्नी बांकाराम<br>तुलछी पुत्री बांकाराम<br>जाति जाट सा0 देह खातेदार | 2/3<br>1/3 | निम्बलनाडी<br><br><br>निम्बलकोट | 308<br>325<br>272<br>335 | 1.2944<br>7.7988<br>1.6462<br>3.3358 | बा0सो0<br>बा0सो0<br>बा0सो0<br>बा0सो0 |
| किता 04 रकबा 14.0752 है0 | | | | | |
| तुलछी पुत्री बांकाराम<br>चूनीदेवी पत्नी बांकाराम<br>वीरमाराम पुत्र रामलाल<br>हिमताराम पुत्र रामलाल<br>कौम जाट सा0 देह खातेदार | 1/6<br>1/3<br>1/4<br>1/4 | निम्बलकोट | 335 | 0.1240 | गैर मुमकिन रास्ता |
| किता 01 रकबा 0.1240 है0 गैर मुमकिन रास्ता | | | | | |

**उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।**

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी